

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(140)परि/नियम/मु./2017 // 855

जयपुर, दिनांक : 10/06/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Mijo Auto Gas Pvt. Ltd. को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(I) A(II) एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं। इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW(KG)	Type Approval Certificate No. & Date
Wagon R VXI BS4	998	Passenger Car	1430	CAPA 0062 Dt. 06.02.2020

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	DATSUN REDI GO	799	Vehicle manufactured/ registered from 01 st April 2013 till the validity of BSIV norms	CAPA 0062 L01 Dt. 28.02.2020
2	FORD FIGO	1194		
3	HONDA AMAZE AT	1199		
4	HONDA AMAZE MT	1198		
5	HYUNDAI SANTRO	1086		
6	HYUNDAI GRAND i10	1197		
7	HYUNDAI ELITE i 20	1197		
8	HYUNDAI XCENT	1197		
9	HYUNDAI VENUE	1197		
10	HYUNDAI EON	814		
11	HYUNDAI XCENT PRIME	1197		
12	HYUNDAI VENUE	998		
13	MARUTI ALTO 800	796		
14	MARUTI ALTO K10	998		
15	MARUTI EECO CARGO	1196		

—

16	MARUTI S-PRESSO	998
17	MARUTI WAGON R	1197
18	MARUTI CELERIO X	998
19	MARUTI SWIFT	1197
20	MARUTI BALENO	1197
21	MARUTI DZIRE	1197
22	MARUTI OMNI (5 SEATER)	796
23	MARUTI OMNI(8 SEATER)	796
24	MARUTI OMNI CARGO	796
25	MARUTI ALTO 800 TOUR H1	796
26	MARUTI CELERIO TOUR H2	998
27	MARUTI DZIRE TOUR	1197
28	MARUTI EECO TOUR V (5 SEATER)	1196
29	MARUTI EECO TOUR V(7 SEATER)	1196
30	MAHINDRA XUV 300	1197
31	RENAULT KWID	799
32	RENAULT TRIBER	999
33	IAIA TIAGO	1199
34	TATA ZEST	1193
35	TATA NEXON	1198
36	TOYOTA ETIOS LIVA	1197
37	TOYOTA GLANZA	1197

5. उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंगन (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
6. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता / Kit प्रदाय कर्ता / वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता / Kit प्रदाय कर्ता / वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
7. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment, को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि / परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
8. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त

✱

कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

10/06/2020
(विनोद कुमार)

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(140)परि/नियम/मु./2017/1856-58
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक : 10/06/2020

1. M/s. Mijo Auto Gas Pvt. Ltd., S-110, Badli Industrial Area, Phase - I Delhi-110042 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

— 54 —
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(140)परि/नियम/मु./2017/1859

जयपुर, दिनांक : 10/06/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं; में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "गैरार्रा Mijo Auto Gas Pvt. Ltd. को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B.A(II) एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं। इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
Honda Brio E MT	1198	Vehicle manufactured/registered from 01 st April 2013 till the validity of BSIV norms	CAKA 0195 Dt. 28.12.2015

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	MG HECTOR	1451	Vehicle manufactured/ registered from 01 st April 2013 till the validity of BSIV norms	CAKA 0195 L05 Dt. 28.02.2020
2	MARUTI SUZUKI EIRTIGA TOUR M	1462		
3	HYUNDAI VERNA	1368		
4	JEEP COMPASS	1368		
5	TOYOTA YARIS	1496		
6	FORD FIGO	1497		
7	FORD ASPIRE	1497		

1. उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
2. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस

—

प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता / Kit प्रदाय कर्ता / वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्वन्धित प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

3. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्वन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि / परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
4. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment लगाने से पूर्व सम्वन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्वन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(विनोद/कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(140)परि/नियम/मु./2017 / 1860-62
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक : 10/06/2020

1. M/s. Mijo Auto Gas Pvt. Ltd., S-110, Badli Industrial Area, Phase - I Delhi-110042 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।


संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(140)परि/नियम/मु./2017 / 1863

जयपुर, दिनांक : 10/06/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Mijo Auto Gas Pvt. Ltd. को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(I).A(II) एवं 126 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं। इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

"IN-USE" BASE MODEL	Capacity CM ³ (CC)	GVW/(kg)	Type Approval Certificate No. & Date	Type & Category
BAJAJ RE 2 STROKE	145.45	650	CAOA 0126 11 June 2019	L5M (3 Wheeler) & 2 Stroke

"IN-USE" BASE MODEL	Capacity CM ³ (CC)	GVW/(kg)	Type Approval Certificate No. & Date	Type & Category
BAJAJ RE 4 STROKE	198	678	CAOA 0087 22 April 2019	L5M (3 Wheeler) & 2 Stroke

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type	Type Approval Certificate No. & Date
1	Piaggio Ape City Smart (4 Stroke)	197.0	01 st April 2010 till the validity of BSIII norms	3 Wheeler & 4 Stroke	CAOA 0087 L01 Dt. 20.01.2020
2	Atul Auto Gem Paxx	198.6			
3	Atul Auto Gem Cargo	198.6			
4	TVS King	199.26			

1. उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।

2. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
3. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment,को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
4. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


 (विनोद कुमार)
 संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(140)परि/नियम/मु./2017/1864-66
 प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक : 10-06-2020

1. M/s. Mijo Auto Gas Pvt. Ltd., S-110, Badli Industrial Area, Phase - I Delhi-110042 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

-sd -
 संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)